

# अध्याय II

## वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण

### 2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियमों के साथ लगी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिये दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों की राशि की तुलना में सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दत्तमत और प्रभारित व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्षण एवं पुनर्विनियोजन को पृथक-पृथक रूप से दर्ज करते हैं तथा बजट के प्रभारित एवं दत्तमत मदों के सम्बन्ध में विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत व्यय के समक्ष विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से विनियोग लेखे वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को सरल बनाते हैं और इस प्रकार ये वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया व्यय, विनियोग अधिनियम के अधीन दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत है और उसी प्रकार प्रभारित किया गया है जैसा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाना चाहिये। यह भी सुनिश्चित किये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि क्या किया गया व्यय, विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

राज्य बजट नियमावली (राबनि) के अनुसार वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से सूचनायें, जिन पर इनके अनुमान आधारित होते हैं, प्राप्त कर, वार्षिक बजट तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। प्राप्तियों एवं व्ययों के विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्षों से परामर्श कर तैयार किये जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जाते हैं। तत्पश्चात्, वित्त विभाग अनुमानों का समेकन तथा विस्तृत अनुमानों एवं अनुदानों को तैयार करता है। जहाँ तक संभव हो व्यय के अनुमान यथार्थ हाने चाहिए। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जिस प्रकार वास्तविक व्यय में आधिक्य। बजट प्रक्रिया परिकल्पित करती है कि किसी निश्चित मद में व्यय के अनुमान के अनुसार उपलब्ध कराई गई राशि वह राशि होनी चाहिये जो कि वर्ष में व्यय की जा सकती है तथा यह ना तो अधिक होनी चाहिए ना ही कम।

राबनि 1995 में प्रकाशित हुआ, इसे संशोधित किया गया एवं वेबसाइट<sup>1</sup> पर दिनांक 27 सितम्बर 2012 को उपलब्ध कराया गया। लेखापरीक्षा में दृष्टिगत, बजट तथा

1. <http://www.finance.rajasthan.gov.in>

व्यय के प्रबंधन में पायी गयी कमियाँ एवं राबनि की अवहेलना की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गयी है।

## 2.2 विनियोग लेखाओं का सारांश

वर्ष 2012-13 के दौरान 55 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति, नीचे दी गयी तालिका 2.1 के अनुसार थी:

तालिका 2.1 : मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I-राजस्व	55,164.79	5,981.14	61,145.93	56,016.75	(-) 5,129.18
	II-पूँजीगत	10,557.81	2,840.15	13,397.96	11,255.44	(-) 2,142.52
	III-कर्ज तथा उधार	48.20	1,753.15	1,801.35	2,411.83	(+) 610.48
योग दत्तमत		65,770.80	10,574.44	76,345.24	69,684.02	(-) 6,661.22
प्रभारित	IV-राजस्व	8,399.78	199.14	8,598.92	8,435.11	(-) 163.81
	V-पूँजीगत	-	0.24	0.24	0.23	(-) 0.01
	VI-लोक ऋण पुनर्भुगतान	4,718.62	-	4,718.62	4,706.72	(-) 11.90
योग प्रभारित		13,118.40	199.38	13,317.78	13,142.06	(-) 175.72
आकस्मिकता निधि को विनियोग		-	-	-	-	-
कुल योग		78,889.20	10,773.82	89,663.02	82,826.08 <sup>2</sup>	(-) 6,836.94

स्रोत: विनियोग लेखे

₹ 6,836.94 करोड़ की समग्र बचत, राजस्व अनुभाग के 2 विनियोगों के आधिक्य<sup>3</sup> (तालिका 2.10) से प्रतिसादित, राजस्व अनुभाग की 49 अनुदानों एवं 42 विनियोगों तथा पूँजीगत अनुभाग की 35 अनुदानों तथा 3 विनियोगों की बचत का परिणाम थी। यह बचत वर्ष के दौरान किये गये अनुपूरक प्रावधान का 63.5 प्रतिशत थी, जोकि त्रुटिपूर्ण बजट अनुमान तथा व्यय के अपर्याप्त अनुश्रवण को इंगित करता है। कर्ज तथा अग्रिम के अन्तर्गत ₹ 610.48 करोड़ का आधिक्य मुख्यतः लेखा शीर्ष '6217-03 छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित

2. ये सकल व्यय के ऑकड़े हैं जिनमें व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ सम्मिलित नहीं हैं (राजस्व: ₹ 990.08 करोड़ तथा पूँजीगत: ₹ 572.10 करोड़, कुल: ₹ 1,562.18 करोड़)।

3. मात्र ₹ 79,100

विकास' के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के लिये किये गये पूँजीगत व्यय को ऋण में रूपान्तरित करने के कारण था।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा नियंत्रण अधिकारियों को, बचतों/आधिक्यो के महत्वपूर्ण अंतरों के कारण स्पष्ट करने के अनुरोध के साथ, विस्तृत विनियोग लेखे प्रेषित किये गये (जून एवं जुलाई 2013)। प्रत्येक विभाग को स्मरण-पत्र भी जारी किये जाते रहे। तथापि, 1,291 उप-शीर्षों में से 479 उप-शीर्षों (बचत: 386 तथा आधिक्य: 93) में अन्तरो के स्पष्टीकरण प्रतीक्षित रहे (नवम्बर 2013)।

## 2.3 वित्तीय जवाबदेयता एवं बजट प्रबन्धन

### 2.3.1 आवंटित प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि 16 प्रकरणों में बचतों, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक रही (परिशिष्ट 2.1)।

₹ 6,836.94 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध, ₹ 5,575.40 करोड़ (81.5 प्रतिशत) की बचतें 17 अनुदानों एवं 1 विनियोग से सम्बन्धित 22 ऐसे मामलों से हुईं जिनमें प्रत्येक प्रकरण ₹ 100 करोड़ से अधिक की राशि का था जैसाकि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.2: ₹ 100 करोड़ एवं अधिक की बचतों के साथ अनुदानों/विनियोगों की सूची**

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत
<b>राजस्व-दत्तमत</b>						
1.	3-सचिवालय	320.52	नगण्य राशि	320.52	147.78	172.74
2.	9-वन	632.89	-	632.89	478.66	154.23
3.	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	6,721.30	316.26	7,037.56	6,869.75	167.81
4.	21-सड़के एवं पुल	1,373.21	38.93	1,412.14	1,271.85	140.29
5.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	12,458.04	नगण्य राशि	12,458.04	11,491.79	966.25
6.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	3,283.31	109.66	3,392.97	3,223.45	169.52
7.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,981.85	487.50	2,469.35	2,330.75	138.60

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत
8.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2,656.33	319.15	2,975.48	2,698.37	277.11
9.	33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,331.28	121.87	2,453.15	2,278.76	174.39
10.	34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत	1,336.25	110.84	1,447.09	1,038.82	408.27
11.	37-कृषि	1,438.91	0.82	1,439.73	1,322.44	117.29
12.	41-सामुदायिक विकास	2,858.73	588.23	3,446.96	3,334.32	112.64
13.	48-विद्युत	4,443.21	2,164.13	6,607.34	5,607.34	1,000.00
14.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2,238.35	214.74	2,453.09	2,257.44	195.65
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>						
15.	19-लोक निर्माण कार्य	512.57	नगण्य राशि	512.57	376.86	135.71
16.	21-सड़के एवं पुल	1,311.71	71.94	1,383.65	1,250.77	132.88
17.	27-पेय जल योजना	1,266.19	10.99	1,277.18	1,099.13	178.05
18.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	918.30	251.59	1,169.89	975.95	193.94
19.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,216.91	23.55	1,240.46	1,008.19	232.27
20.	46-मिंचाई	811.29	नगण्य राशि	811.29	582.32	228.97
21.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,404.00	2.69	1,406.69	1,282.86	123.83
<b>राजस्व-प्रभारित</b>						
22.	ब्याज अदायगियाँ	8,315.49	179.52	8,495.01	8,340.05	154.96
<b>योग</b>		<b>59,830.64</b>	<b>5,012.41</b>	<b>64,843.05</b>	<b>59,267.65</b>	<b>5,575.40</b>

**स्रोत: विनियोग लेखे**

कुछ मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचतों का विवरण, जैसाकि विनियोग लेखों में प्रतिवेदित है, निम्नानुसार है:

● **अनुदान संख्या 3-‘सचिवालय’**

₹ 172.74 करोड़ की बचतें मुख्यतः ‘3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें-सचिवालय-राज्य आयोजना मण्डल द्वारा अनुशंसित योजनायें-आयोजना विभाग के माध्यम से (₹ 50.75 करोड़) रही जिसके सम्पूर्ण प्रावधान को राज्य आयोजना मण्डल से उचित प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण, वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित किया गया। इसके अतिरिक्त बचतें (₹ 107.70 करोड़) ‘जिला योजना मशीनरी-विश्व बैंक सहायता के अधीन जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना फेज-1।

हेतु व्यय' के अन्तर्गत, संसाधन खण्ड नीति के अधीन संसाधन अभिकरण के द्वारा अनुबन्ध के विलम्ब से लागू किये जाने एवं पदों के रिक्त रहने के कारण सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) कम जारी किये जाने से रही। यह संशोधित राबनि के पैरा 13.18.2 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

● **अनुदान संख्या 9-‘वन’**

₹ 154.23 करोड़ की बचतें, मुख्यतः ‘2406-वानिकी एवं वन्य जीवन-वानिकी-निर्देशन एवं प्रशासन-अधीनस्थ एवं दक्ष कर्मचारी वर्ग’ (₹ 21.70 करोड़), ‘सामाजिक एवं फार्म वानिकी-बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता परियोजना फेज-11’ (₹ 63.81 करोड़), ‘पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन-वन्यजीव परिरक्षण-बाघ परियोजना, रणथम्भौर’ (₹ 38.29 करोड़) एवं ‘बाघ परियोजना, सरिस्का’ (₹ 17.07 करोड़) के अन्तर्गत रही। राज्य सरकार द्वारा बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2013)।

● **अनुदान संख्या 15-‘पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ’**

₹ 167.81 करोड़ की बचतें मुख्यतः ‘2071-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-सिविल-अधिवार्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते-राज्य कर्मचारियों को पेंशन’ (₹ 101.94 करोड़), ‘परिवार पेंशन’ (₹ 23.03 करोड़) एवं ‘स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को पेंशन’ (₹ 35.55 करोड़) के अन्तर्गत, फरवरी 2013 माह तक के मासिक व्यय की प्रवृत्ति के विरुद्ध, मार्च 2013 माह में कम व्यय होने के कारण थी। राज्य सरकार द्वारा अंतिम बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2013)।

● **अनुदान संख्या 21-‘सड़कें एवं पुल’**

₹ 140.29 करोड़ की बचतें मुख्यतः ‘3054-सड़कें एवं पुल-महत्वपूर्ण एवं सीमावर्ती सड़कें-सड़क निर्माण कार्य-सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से-खरखाव एवं पुनरुद्धार’ (₹ 89.80 करोड़) के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों पर सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा सीधे ही व्यय करने के कारण रही, जिसके लिये स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 42.23 करोड़ की बचतें ‘सामान्य-आरक्षित निधि/जमा लेखा से/को अन्तरण-केन्द्रीय सड़क निधि को हस्तांतरण’ के अन्तर्गत केन्द्रीय सड़क निधि में सड़क निर्माण की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने एवं व्यय के विरुद्ध, जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र मार्च 2013 में भेजा जा चुका था, भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण रही।

● **अनुदान संख्या 24-‘शिक्षा, कला एवं संस्कृति’**

₹ 966.25 करोड़ की बचतें मुख्यतः ‘2202-सामान्य शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा-राजकीय माध्यमिक विद्यालय-लड़कों के विद्यालय’ (₹ 815.39 करोड़) एवं ‘लड़कियों के विद्यालय’ (₹ 126.76 करोड़) के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने के कारण थी। यह संशोधित राबनि के प्रावधानों के विरुद्ध था।

● **अनुदान संख्या 26-‘चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई’**

₹ 169.52 करोड़ की बचतें मुख्यतः ‘2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-ऐलोपैथी’ (₹ 30.59 करोड़), ‘ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-ऐलोपैथी’ (₹ 52.95 करोड़), ‘ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-चिकित्सा की अन्य पद्धतियाँ’ (₹ 45.98 करोड़) के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने के कारण थी। उसी प्रकार, बचतें ‘2211-परिवार कल्याण-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-ब्लॉक स्तरीय स्थापना’ (₹ 15.47 करोड़) के अन्तर्गत भी पदों के रिक्त रहने के कारण थी तथा ‘अन्य सेवायें एवं आपूर्तियाँ-परम्परागत गर्भनिरोधक’ (₹ 5.47 करोड़) के अन्तर्गत भारत सरकार से परम्परागत गर्भनिरोधक कम मात्रा में प्राप्त होने के कारण थी। सरकार द्वारा कई अन्य प्रकरणों में बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2013)। पदों के रिक्त रहने के कारण बचतें, संशोधित राबनि के प्रावधानों के विरुद्ध थी।

● **अनुदान संख्या 29-‘नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास’**

₹ 138.60 करोड़ की बचतें मुख्यतः ‘2217-शहरी विकास-सामान्य-नगर निगमों को सहायता-सार्वजनिक प्रकाश-विद्युत बिलों का भुगतान’ (₹ 43.10 करोड़), ‘नगर परिषदों/नगरपालिका सहायता-छोटे एवं मध्यम कस्बों हेतु शहरी समेकित विकास योजना-विकास कार्य’ (₹ 14.60 करोड़), ‘सार्वजनिक प्रकाश-विद्युत बिलों का भुगतान’ (₹ 40.44 करोड़), ‘सामान्य-निर्देशन एवं प्रशासन-निर्देशक, स्थानीय निकाय’ (₹ 14.37 करोड़) तथा ‘नगर निगमों को सहायता-सामान्य अनुदान’ (₹ 9.70 करोड़) के अन्तर्गत रही। राज्य सरकार द्वारा अंतिम बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2013)।

● **अनुदान संख्या 30-‘जनजाति क्षेत्रीय विकास’**

₹ 277.11 करोड़ की बचतें, मुख्यतः ‘2202-सामान्य शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा-राजकीय माध्यमिक विद्यालय-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-अनुसूचित जनजातियों के लिये माध्यमिक शिक्षा अभियान’ (₹ 15.45 करोड़) के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण थी।

‘2401-फसल कृषिकर्म-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-जनजाति क्षेत्र उपयोगना-जल योजना हेतु अनुदान के अन्तर्गत जिला स्तरीय स्थापना व्यय’ (₹ 9.23 करोड़), ‘2406-वानिकी एवं वन्य जीवन-वानिकी-जनजाति क्षेत्र उपयोगना-बाहय सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता परियोजना फेज-11’ (₹ 11.59 करोड़), ‘2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम-स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-ग्रामीण स्वराज योजना-अनुदान’ (₹ 10.25 करोड़), ‘2505-ग्रामीण रोजगार-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (राज्यांश)-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-कार्यकलाप सम्बन्धी’ (₹ 10.51 करोड़) एवं ‘2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-जिला परिषदों/जिला

स्तर की पंचायतों को सहायता-पिछड़ा जिला विकास निधि (केन्द्रीय सहायता)-कार्यकलाप सम्बन्धी गतिविधियाँ' (₹ 10.04 करोड़) के अन्तर्गत बचतें भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण थी।

'2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-शहरी स्वास्थ्य सेवायें एलोपैथी-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-अन्य अस्पताल' (₹ 13.61 करोड़) के अन्तर्गत बचतें पदों के रिक्त रहने तथा मशीनरी एवं कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय के कारण थी।

₹ 94.96 करोड़ '2202-सामान्य शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-राजकीय माध्यमिक विद्यालय-लड़कों के विद्यालय' के अन्तर्गत, ₹ 31.99 करोड़ '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से-छात्रवृत्तियाँ' के अन्तर्गत तथा ₹ 13.58 करोड़ '2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-ग्राम पंचायतों को सहायता-मिड-डे मील सहायता के अन्तर्गत राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिये)-कार्यकलाप/गतिविधियाँ' की बचतों के कारणों को राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2013)।

● **अनुदान संख्या 33-‘सामाजिक सुरक्षा और कल्याण’**

₹ 174.39 करोड़ की बचतें मुख्यतः '2236 पोषाहार-पोषाहार भोजन एवं सुपेय का वितरण-विशेष पोषाहार कार्यक्रम-समेकित बाल विकास सेवायें विभाग के माध्यम से-पोषाहार क्रेश कार्यक्रम' (₹ 107.04 करोड़) के अन्तर्गत, योजना में लाभार्थियों की कम उपस्थिति एवं समस्त आँगनबाड़ी केन्द्रों के असंचालन के कारण थी। '2236-पोषाहार-पोषाहार भोजन एवं सुपेय का वितरण-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-समेकित बाल विकास सेवायें विभाग के माध्यम से-ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायतों के जिला स्तरीय संस्थापना व्यय' (₹ 24.28 करोड़) के अन्तर्गत बचतें, पदों के रिक्त रहने एवं ग्राम पंचायतों द्वारा आँगनबाड़ी कामगारों तथा सहयोगिनियों का चयन नहीं करने के कारण थी। '2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग के माध्यम से-राज्य सरकार के पेंशनरों का अंतरंग चिकित्सा सुविधा योजना हेतु राजस्थान सरकार पेंशनर चिकित्सा निधि को सहायता अनुदान' (₹ 24.03 करोड़) के अन्तर्गत बचतें 'मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना' में मुफ्त दवा वितरण, जिसके परिणामस्वरूप कम चिकित्सा पुनर्भरण दावे प्रस्तुत, के कारण रही।

● **अनुदान संख्या 34-‘प्राकृतिक आपदाओं से राहत’**

₹ 408.27 करोड़ की बचतें मुख्यतः '2245-प्राकृतिक आपदाओं से राहत' (₹ 333.91 करोड़) के अन्तर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कम राहत कार्यों तथा

‘क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं पुनरूद्धार’ (₹ 74.53 करोड़) के अन्तर्गत राज्य में कम बाढ़ व चक्रवाती तुफान के कारण रही।

● **अनुदान संख्या 37-‘कृषि’**

₹ 117.29 करोड़ की बचतें, शीर्ष ‘2401-फसल कृषिकर्म-अन्य व्यय-राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (विशेष केन्द्रीय सहायता)-कृषि विभाग के माध्यम से’ के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण थी।

● **अनुदान संख्या 41-‘सामुदायिक विकास’**

₹ 112.64 करोड़ की बचतें, शीर्ष ‘2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-ग्रामीण बी.पी.एल. आवास-सामान्य कार्यकलाप/गतिविधियाँ’ (₹ 14.95 करोड़) के अन्तर्गत रही जबकि ₹ 53.74 करोड़ ‘2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-ग्राम पंचायतों को सहायता-मिड डे मील सहायता के अन्तर्गत राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिये)-कार्यकलाप/गतिविधियाँ’ की बचतों के कारणों को राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2013)। ₹ 39.78 करोड़ की बचतें, शीर्ष ‘2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-ग्राम पंचायतों को सहायता-पंचायती राज संस्थाओं के लिये निबन्ध कोष-कार्यकलाप/गतिविधियाँ’ के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 10 प्रतिशत प्रोत्साहन के दावे प्रस्तुत नहीं करने के कारण रही।

● **अनुदान संख्या 48-‘विद्युत’**

₹ 1,000 करोड़ की बचतें ‘2801-विद्युत-सामान्य-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता-बॉण्डों पर ब्याज हेतु विद्युत वितरण निगम<sup>4</sup> को अनुदान’ विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये वित्तीय संसाधन नियोजन के अंतिमीकरण के कारण भारत सरकार द्वारा अनुदान कम जारी करने के कारण रही।

● **अनुदान संख्या 51-‘अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना’**

₹ 195.65 करोड़ की बचतें मुख्यतः ‘2202-सामान्य शिक्षा-प्रारम्भिक शिक्षा-सर्व शिक्षा अभियान-अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना’ (₹ 21.66 करोड़) के अन्तर्गत रही, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2013)। ‘2202-सामान्य शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा-राजकीय माध्यमिक विद्यालय-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-अनुसूचित जनजातियों के लिये माध्यमिक शिक्षा अभियान’ (₹ 52.18 करोड़), ‘2406-वानिकी एवं वन्य जीवन-वानिकी-अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना-बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता परियोजना चरण II’ (₹ 16.53 करोड़), ‘2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष

4. जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर।

कार्यक्रम-स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-अनुदान' (₹ 19.23 करोड़), ग्रामीण स्वराज योजना-अनुदान (₹ 14.52 करोड़) एवं '2505-ग्रामीण रोजगार-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (राज्यांश)-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-कार्यकलाप सम्बन्धी' (₹ 16.80 करोड़) के अन्तर्गत बचतें, भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं/कम प्राप्त होने के कारण थी। इसके अतिरिक्त, '2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-ग्राम पंचायतों को सहायता-पंचायती राज संस्थाओं के लिये निबन्ध कोष-कार्यकलाप/गतिविधियाँ' (₹ 15.19 करोड़) के अन्तर्गत बचतें पंचायती राज संस्थान को कम अनुदान जारी करने के कारण थी। ₹ 35.90 करोड़ की बचतें '3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें- अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना-राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना' पदों के रिक्त रहने एवं संसाधन खण्ड नीति के अन्तर्गत संसाधन अभिकरण के द्वारा सहमति विलम्ब से लागू होने के कारण थी।

● **अनुदान संख्या 19-'लोक निर्माण कार्य' (पूँजीगत)**

₹ 135.71 करोड़ की बचतें मुख्यतः शीर्ष '4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय-सामान्य-निर्माण' (₹ 104.16 करोड़) के अन्तर्गत एवं '4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-शहरी स्वास्थ्य सेवायें' (₹ 6.61 करोड़), 'ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें' (₹ 18.34 करोड़) तथा 'चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान' (₹ 12.05 करोड़) के अन्तर्गत कार्यों की धीमी प्रगति/कम निष्पादन एवं भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण थी।

● **अनुदान संख्या 21-'सड़कें एवं पुल' (पूँजीगत)**

₹ 132.88 करोड़ की बचतें मुख्यतः शीर्ष '5054-सड़कें एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय-जिला एवं अन्य सड़कें-अन्य व्यय-अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनायें' में भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण थी।

● **अनुदान संख्या 27-'पेयजल योजना' (पूँजीगत)**

₹ 178.05 करोड़ की बचतें मुख्यतः शीर्ष '4215-जलापूर्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-जलापूर्ति-शहरी जलापूर्ति-सामान्य शहरी जलापूर्ति योजनायें' (₹ 163.08 करोड़) के अन्तर्गत कार्यों की धीमी प्रगति/निष्पादन नहीं होने एवं भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण थी।

● **अनुदान संख्या 29-'नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास' (पूँजीगत)**

₹ 193.94 करोड़ की बचतें मुख्यतः शीर्ष '4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-छोटे एवं मध्यम कस्बों का समेकित विकास-अन्य व्यय' (₹ 108.50 करोड़) के अन्तर्गत एवं 'अन्य शहरी विकास योजनायें-भूमि-राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास

विनिवेश कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.) राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.) द्वितीय चरण (आर्थिक कार्य योजना) निर्माण कार्य' (₹ 83.95 करोड़) के अन्तर्गत थी, जिसके कारणों को सूचित नहीं किया गया। (नवम्बर 2013)।

● **अनुदान संख्या 30-‘जनजाति क्षेत्रीय विकास’ (पूँजीगत)**

₹ 232.27 करोड़ की बचतें, मुख्यतः शीर्ष ‘4215-जलापूर्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-जलापूर्ति-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-ग्रामीण जलापूर्ति योजनायें’ (₹ 35.98 करोड़) एवं ‘शहरी जलापूर्ति योजनायें’ (₹ 30.31 करोड़), के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं में कार्यों की धीमी प्रगति/निष्पादन नहीं होने के कारण थी। ‘4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएँ’ (₹ 41.16 करोड़) के अन्तर्गत बचतें भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण थी। इसके अतिरिक्त, शीर्ष ‘4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-सामान्य-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश’ (₹ 83.40 करोड़) एवं ‘राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में निवेश’ (₹ 13.94 करोड़) के अन्तर्गत रही बचतों के कारणों को सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2013)।

● **अनुदान संख्या 46-‘सिंचाई’ (पूँजीगत)**

₹ 228.97 करोड़ की बचतें मुख्यतः शीर्ष ‘4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)-निर्देशन एवं प्रशासन-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम-राजस्थान में निर्माण कार्य’ (₹ 115.20 करोड़), ‘गंग नहर (वाणिज्यिक)(मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)-निर्देशन एवं प्रशासन-राजस्थान में निर्माण कार्य-आधुनिकीकरण’ (₹ 21.87 करोड़) एवं ‘4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-अन्य व्यय-लघु सिंचाई योजनाओं का पुनरूद्धार’ (₹ 43 करोड़) के अन्तर्गत कार्यों के कम निष्पादन के कारण थी। राज्य सरकार द्वारा ‘4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-सामान्य-अन्य व्यय-राजस्थान जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना’ के अन्तर्गत ₹ 36.36 करोड़ की बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2013)।

● **अनुदान संख्या 51-‘अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना’ (पूँजीगत)**

₹ 123.83 करोड़ की बचतें मुख्यतः ‘4215-जलापूर्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-जलापूर्ति-अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना-अनुसूचित जाति क्षेत्रों में जलापूर्ति’ (₹ 50.49 करोड़) एवं ‘अनुसूचित जाति क्षेत्रों में जलापूर्ति-शहरी’ (₹ 49.61 करोड़) तथा ‘5054-सड़कें एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय-राज्य

राजमार्ग-अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना-राज्य सड़क विकास निधि से वित्तपोषित (राज्य राजमार्ग) के अन्तर्गत रही जिनके कारणों को सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2013)।

● **ब्याज अदायगियों (राजस्व-प्रभारित)**

₹ 154.96 करोड़ की बचतें मुख्यतः '2049-ब्याज अदायगियों-आंतरिक ऋण पर ब्याज-राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज-राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण पर ब्याज' के अन्तर्गत भारत सरकार से राष्ट्रीय अल्प बचत निधि ऋण की कम प्राप्ति के परिणामस्वरूप ब्याज का अनुमान से कम भुगतान किये जाने के कारण रही।

ऊपर चर्चित प्रकरण इंगित करते हैं कि इन अनुदानों के बजट नियंत्रण अधिकारियों तथा विभागों द्वारा व्ययों का अनुश्रवण एवं बजट अनुमान तैयार करते समय संशोधित राबनि के अध्याय 13 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 6,836.94 करोड़ की भारी बचत हुई।

**2.3.2 निरन्तर बचतें**

14 प्रकरणों में, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल अनुदान के 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले तीन वर्षों के दौरान निरन्तर बचतें रही (तालिका 2.3)।

**तालिका 2.3: वर्ष 2010-13 के दौरान निरन्तर बचतें इंगित करने वाली अनुदानों की सूची**

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचतों की राशि		
		2010-11	2011-12	2012-13
<b>राजस्व-दत्तमत</b>				
1.	03-सचिवालय	42.32	356.84	172.74
2.	09-वन	66.03	134.70	154.23
3.	13-आबकारी	21.44	35.63	17.51
4.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	360.37	543.86	408.27
5.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	96.00	28.25	35.25
6.	38-लघु सिंचाई एवं भू-संरक्षण	22.64	11.78	21.86
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>				
7.	09-वन	49.44	20.23	27.44
8.	19-लोक निर्माण कार्य	22.33	109.81	135.71
9.	23-श्रम एवं रोजगार	3.83	2.57	1.38
10.	27-पेय जल योजना	705.25	593.18	178.05
11.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	269.07	354.54	193.94
12.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	7.95	21.83	85.77
13.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	498.10	17.22	35.90
14.	46-सिंचाई	181.67	171.26	228.97

स्रोत: विनियोग लेखे

निरन्तर बचतों के कारणों को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया, नीचे दिया गया है:

**अनुदान संख्या 03 में,** ₹ 42.32 करोड़ एवं ₹ 356.84 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें थी। वर्ष 2010-13 के दौरान बचतों के मुख्य कारण, पदों का रिक्त रहना एवं योजनाओं के लिये राज्य आयोजना बोर्ड से अनुशंसा के लिये उचित प्रस्तावों का प्राप्त नहीं होना, रहे।

**अनुदान संख्या 09 में,** वर्ष 2010-12 के दौरान, राजस्व अनुभाग में ₹ 66.03 करोड़ एवं ₹ 154.23 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें, मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति नहीं होने के कारण थी। वर्ष 2012-13 की बचतों के कारणों को सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2013)। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010-12 के दौरान पूंजीगत अनुभाग में ₹ 20.23 करोड़ एवं ₹ 49.44 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क तथा वनों/कैम्पा हेतु विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत आयोजना सीमा में कटौती के कारण थी। वर्ष 2012-13 की बचतों के कारणों को राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2013)।

**अनुदान संख्या 23 में,** ₹ 1.38 करोड़ एवं ₹ 3.83 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें थी। वर्ष 2010-12 के दौरान मुख्यतः पर्याप्त निविदा प्राप्त न होने, क्रय आदेशों के विरुद्ध फर्मों से सामग्री कम प्राप्त होना तथा फर्म द्वारा आपूर्ति की गई कुछ सामग्री को तकनीकी कारणों से निरस्त करना एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना के अन्तर्गत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विश्व बैंक के नियम व शर्तों को पूरा नहीं करना, बचतों के मुख्य कारण रहे। वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद मानकों के अनुसार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भवन किराये पर उपलब्ध नहीं होने के कारण बचत रही।

**अनुदान संख्या 27 में,** ₹ 178.05 करोड़ एवं ₹ 705.25 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें थी। बचतों के मुख्य कारण विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं में कार्यों की धीमी प्रगति थी।

**अनुदान संख्या 29 में,** ₹ 193.94 करोड़ एवं ₹ 354.54 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें थी। बचतें मुख्यतः आयोजना सीमा में कटौती, वर्ष 2010-11 में भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा वर्ष 2011-12 में राजस्थान शहरी विकास निधि को अनुदान नहीं दिये जाने, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति एवं बीसलपुर परियोजना के बिलों के भुगतान में विलम्ब के कारण थी। वर्ष 2012-13 की बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये थे (नवम्बर 2013)।

**अनुदान संख्या 34 में,** ₹ 360.37 करोड़ एवं ₹ 543.86 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें थी। बचतों का मुख्य कारण सूखा एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कम राहत कार्यों का होना था।

**अनुदान संख्या 35 में,** राजस्व अनुभाग में ₹ 28.25 करोड़ एवं ₹ 96 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें वर्ष 2010-11 में मुख्यतः भारत सरकार द्वारा जनगणना-2011 पर व्यय हेतु निधियाँ, राज्य बजट से देने के बजाय सीधे ही जिला कलक्टरों को जारी करने के कारण थी। वर्ष 2011-13 के दौरान भारतीय यूनिक पहचान प्राधिकरण की 'यूनिक पहचान संख्या परियोजना' के अन्तर्गत बी.पी.एल. उन्नयन राशि की भुगतान प्रक्रिया जारी नहीं होने के कारण थी। इसके अतिरिक्त, पूँजीगत अनुभाग में निरन्तर बचतें ₹ 17.22 करोड़ एवं ₹ 498.10 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2010-11 के दौरान बचतें मुख्यतः 'राजस्थान राज्य निवेश निधि' में ₹ 492.32 करोड़ निवेशित नहीं करने के कारण थी। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान बचतें भारत सरकार से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना हेतु निधियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण थी।

**अनुदान संख्या 38 में,** ₹ 11.78 करोड़ एवं ₹ 22.64 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें थी। वर्ष 2010-11 में बचतें मुख्यतः भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होने एवं वर्ष 2011-12 में पदों के रिक्त रहने के कारण थी। वर्ष 2012-13 की बचतों के कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2013)।

**अनुदान संख्या 46 में,** ₹ 171.26 करोड़ एवं ₹ 228.97 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें थी। वर्ष 2010-11 में बचतें, नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राजस्थान जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना, गरड़दा परियोजना (वाणिज्यिक) एवं लघु सिंचाई योजनाओं का पुनर्वास (जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता अभिकरण), कार्यों के कम निष्पादन एवं वर्ष 2011-13 के दौरान कार्यों के कम निष्पादन के कारण थी।

विगत वर्षों में, 14 अनुदानों के तहत निरन्तर बचतें, राज्य सरकार द्वारा विनियोग विधेयक में, निधियों की आवश्यकता की पर्याप्त संवीक्षा एवं व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण के बिना, अधिक निर्धारण का सूचक है। निरन्तर बचतों से बचने के लिये इन अनुदानों के नियंत्रण अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा निर्देशित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही बचतों को पूर्वानुमान होते ही अभ्यर्पित किया जाना चाहिये।

**2.3.2.1** अनुदान संख्या 8, 13, 19, 30 एवं 33 के अन्तर्गत निरन्तर बचतों की विस्तृत समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों की विवेचना निम्नानुसार है:

### **अनुदान संख्या 08-राजस्व**

#### **राजस्व विभाग**

वर्ष 2010-13 के दौरान पाँच उप-शीर्षों में निरन्तर बचतें, ₹ 0.48 करोड़ एवं ₹ 50.98 करोड़ के मध्य, कुल प्रावधान के 7 प्रतिशत से 100 प्रतिशत रही जैसाकि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4 : अनुदान संख्या 08-राजस्व के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल बजट	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत
1.	2029-भू-राजस्व	<b>आयोजना-भिन्न</b>				
	102-सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त संचालन	2010-11	53.14	46.40	6.74	12.7
		2011-12	56.98	50.55	6.43	11.3
	02-जिला कर्मचारी वर्ग	2012-13	57.49	52.33	5.16	9.0
2.	2029-भू-राजस्व	<b>आयोजना</b>				
	103-भू-अभिलेख	2010-11	49.85	-	49.85	100.0
	04-भू-अभिलेख सुधार योजना (भू-प्रबन्ध आयुक्त के माध्यम से)	2011-12	35.03	0.72	34.31	97.9
		2012-13	37.93	12.32	25.61	67.5
		<b>केन्द्रीय प्रवर्तित योजना</b>				
		2010-11	49.85	-	49.85	100.0
	02-भू-प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (50:50)	2011-12	35.03	0.72	34.31	97.9
		2012-13	41.85	14.30	27.55	65.8
3.	2029-भू-राजस्व	<b>आयोजना</b>				
	103-भू-अभिलेख	2010-11	9.51	-	9.51	100.0
	07-पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	2011-12	9.51	2.23	7.28	76.5
		2012-13	4.50	1.04	3.46	76.9
4.	2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें	<b>आयोजना-भिन्न</b>				
		2010-11	3.58	3.10	0.48	13.4
	099-राजस्व बोर्ड	2011-12	3.94	3.31	0.63	16.0
	02-राजस्व अपीलीय अधिकारी	2012-13	4.39	3.44	0.95	21.6
5.	2029-भू-राजस्व	<b>आयोजना-भिन्न</b>				
	103-भू-अभिलेख	2010-11	360.88	319.62	41.26	11.4
	02-जिला व्यय	2011-12	399.31	348.33	50.98	12.8
		2012-13	403.08	371.53	31.55	7.8

\*इन सभी मामलों में अनुपूरक प्रावधान नहीं था।

**स्रोत: विनियोग लेखे**

राजस्व विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बचतें, मुख्यतः विभिन्न संवर्गों में पदों के रिक्त रहने, आउटसोर्सिंग कार्य हेतु निविदा का अंतिमीकरण नहीं होने, राज्य सरकार द्वारा आयोजना सीमा में कटौती तथा केन्द्रांश की अप्राप्ति के कारण थी। उप-शीर्ष 2029-103-04-02 के अन्तर्गत, आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना में वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 49.85 करोड़ एवं ₹ 35.03 करोड़ के विरुद्ध क्रमशः शून्य एवं ₹ 0.72 करोड़ का व्यय हुआ। बचतों का कारण, राष्ट्रीय भूमि दस्तावेज आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत नीति निर्धारण प्रक्रिया, कार्य संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु ढाँचा तैयार करने में समय लगना बताया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि, भारी बचतों

को मध्य नजर रखते हुये, विभाग द्वारा आगामी वर्षों में अपनी माँग को संशोधित नहीं किया।

### अनुदान संख्या 13-आबकारी

#### आबकारी विभाग

वर्ष 2010-13 के दौरान, एक उप-शीर्ष में निरन्तर बचतें ₹ 0.55 करोड़ एवं ₹ 4.35 करोड़ के मध्य, कुल प्रावधान (आयोजना-भिन्न) के 4.7 प्रतिशत से 35 प्रतिशत रही, जैसाकि तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: अनुदान संख्या 13-आबकारी के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल बजट	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत
2039-राज्य उत्पाद शुल्क 001-निर्देशन तथा प्रशासन 01-प्रधान कार्यालय	2010-11	11.57*	11.02	0.55	4.7
	2011-12	12.31	7.96	4.35	35.3
	2012-13	12.30	11.68	0.62	5.0

\* ₹ 1.13 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान सहित ।

#### स्रोत: विनियोग लेखे

बचतों के कारण, प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने से शराब की बोतलों के होलोग्राम क्रय करने हेतु निविदा प्रक्रिया में देरी (2010-11), राज्य सरकार द्वारा होलोग्राम उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया जाना (2011-12), तथा पूँजीगत प्रकृति के कार्य होने से व्यय का प्रावधान आयोजना-भिन्न के स्थान पर आयोजना में करना (2012-13), सूचित किये गये थे।

उत्तर वर्ष 2011-13 हेतु स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रावधान गत वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये था।

### अनुदान संख्या 19-लोक निर्माण कार्य

#### लोक निर्माण विभाग

वर्ष 2010-13 के दौरान, सात उप-शीर्षों में निरन्तर बचतें, ₹ 0.02 करोड़ एवं ₹ 16.02 करोड़ के मध्य, कुल प्रावधान के 5 प्रतिशत से 99.8 प्रतिशत तक थी जैसाकि तालिका 2.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: अनुदान संख्या 19-लोक निर्माण के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल बजट	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत
1	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 001-निर्देशन तथा प्रशासन 01-प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र) 91-स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)	2010-11	4.32	2.19	2.13	49.3
		2011-12	10.75*	4.30	6.45	60.0
		2012-13	16.17	5.80	10.37	64.1
2	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 001-निर्देशन तथा प्रशासन 01-प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र) 93-सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)	2010-11	1.62	0.82	0.80	49.4
		2011-12	2.90	0.95	1.95	67.2
		2012-13	6.06	2.17	3.89	64.2
3	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 051-निर्माण 01-सामान्य भवन (भू-राजस्व) 01-मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	2010-11	9.49	6.46	3.03	31.9
		2011-12	9.07	3.15	5.92	65.3
		2012-13	20.35	4.33	16.02	78.7
4	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाये 110-अस्पताल एवं औषधालय 05-एलोपैथी (निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये) 90-निर्माण कार्य	2010-11	10.51	5.62	4.89	46.5
		2011-12	10.77	8.86	1.91	17.7
		2012-13	12.19	8.15	4.04	33.1
5	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाये (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये) 101-स्वास्थ्य उप-केन्द्र 01-भवन 90-निर्माण कार्य	2010-11	1.67	0.01	1.66	99.4
		2011-12	0.42	0.17	0.25	59.5
		2012-13	13.41	0.02	13.39	99.8
6	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105-एलोपैथी 03-चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर 90-निर्माण कार्य	2010-11	0.53	0.12	0.41	77.4
		2011-12	4.31	2.38	1.93	44.8
		2012-13	8.09	3.39	4.70	58.1

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल बजट*	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत
7	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105-एलोपैथी 06-चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा 90-निर्माण कार्य	2010-11	0.37	0.35	0.02	5.4
		2011-12	6.34	1.63	4.71	74.3
		2012-13	9.60	5.04	4.56	47.5

\* ₹ 3.02 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान महित ।

**स्रोत: विनियोग लेखे**

विभाग द्वारा, पूंजीगत व्यय पर प्रतिशतता प्रभार, एकमुश्त प्रावधानों के विरुद्ध नवीन स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं होना, स्वीकृतियों का देरी से जारी होना, भूमि की अनुपलब्धता, निविदा प्रक्रिया में समय लगना एवं संवेदकों द्वारा निविदा बहिष्कार करने के कारण कार्य में देरी होना, बचतों के कारण बताये गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बचतों से बचने के लिये विभाग वर्ष के अन्त में समय पर प्रतिविधिक कार्यवाही कर सकता था।

**अनुदान संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास**

**जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग**

वर्ष 2010-13 के दौरान नौ उप-शीर्षों में निरन्तर बचतें, ₹ 0.05 करोड़ एवं ₹ 5.61 करोड़ के मध्य, कुल प्रावधान के 5 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक थी जैसाकि तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.7: अनुदान संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत निरन्तर बचतें**

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान*	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत
1.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 01-निरीक्षण	आयोजना-भिन्न				
		2010-11	0.95	0.90	0.05	5.3
		2011-12	1.03	0.80	0.23	22.3
		2012-13	1.56*	1.19	0.37	23.7
2.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 02-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 02-बालिका विद्यालय	आयोजना-भिन्न				
		2010-11	19.24	16.79	2.45	12.7
		2011-12	20.54	16.90	3.64	17.7
		2012-13	26.50	20.89	5.61	21.2

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान*	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत	
3.	2202-सामान्य शिक्षा	<b>आयोजना</b>					
	03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	2010-11	2.21	1.97	0.23	10.4	
	796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना	2011-12	2.88	1.81	1.07	37.2	
	01-राजकीय महा विद्यालय (छात्रों हेतु)	2012-13	1.58	0.72	0.86	54.4	
4.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	<b>आयोजना-भिन्न</b>					
	02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 01-प्रशासन 02-आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास	2010-11	2.90	2.69	0.21	7.2	
		2011-12	3.32	2.95	0.37	11.1	
		2012-13	3.39	3.01	0.38	11.2	
		<b>आयोजना</b>					
5.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2010-11	0.50	0.16	0.34	68.0	
	02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना	2011-12	0.26	-	0.26	100.0	
		2012-13	0.26	-	0.26	100.0	
		<b>केन्द्रीय प्रवर्तित योजना</b>					
	02-जनजाति क्षेत्र उप-योजना की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान 16-जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (के.प्र.यो.)	2010-11	0.50	0.16	0.34	68.0	
		2011-12	0.26	-	0.26	100.0	
		2012-13	0.26	-	0.26	100.0	
	6.	2236-पोषण	<b>केन्द्रीय प्रवर्तित योजना</b>				
		02-पोषक भोजन तथा मुपेय का वितरण 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 01-समेकित बाल विकास सेवायें विभाग के माध्यम से 02-एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम	2010-11	29.23	26.12	3.11	10.6
			2011-12	2.66	2.46	0.20	7.5
2012-13			3.13	2.28	0.85	27.2	
<b>आयोजना-भिन्न</b>							
7.	2700-मुख्य सिंचाई	<b>आयोजना-भिन्न</b>					
	27-माही परियोजना (वाणिज्यिक) 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 02-यूनिट-11 (नहरें)	2010-11	15.46	13.90	1.56	10.1	
		2011-12	15.67	14.62	1.05	6.7	
		2012-13	16.44	14.62	1.82	11.1	
8.	2700-मुख्य सिंचाई	<b>आयोजना-भिन्न</b>					
	27-माही परियोजना (वाणिज्यिक) 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 03-उच्चत 02-यूनिट-11 (नहरें)	2010-11	0.75	-	0.75	100.0	
		2011-12	0.75	-	0.75	100.0	
		2012-13	0.75	-	0.75	100.0	
		<b>आयोजना</b>					
9.	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	<b>आयोजना</b>					
	796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 01-लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से) 01-निष्पादन	2010-11	2.94	2.77	0.17	5.8	
		2011-12	3.09	2.67	0.42	13.6	
		2012-13	3.57	2.50	1.07	30.0	

\* ₹ 0.01 लाख के अनुपूरक प्रावधान सहित ।

**स्रोत: विनियोग लेखे**

बचतों के कारण, पदों का रिक्त रहना एवं केन्द्रयांश जारी नहीं करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा मैचिंग अंश जारी नहीं किया जाना, सूचित किये गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि रिक्त पदों हेतु अनुमान तैयार करना, संशोधित राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ ही केन्द्रयांश जारी नहीं किये जाने के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा आगामी वर्षों में अपनी माँगों को संशोधित नहीं किया गया।

**अनुदान संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण**

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**

वर्ष 2010-13 के दौरान, चार उप-शीर्षों में, ₹ 0.05 करोड़ एवं ₹ 127.53 करोड़ के मध्य, कुल प्रावधान के 3 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की निरन्तर बचतें थी जैसाकि तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.8: अनुदान संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत निरन्तर बचतें**

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल बजट	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत
1.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 001-निर्देशन तथा प्रशासन	<b>आयोजना-भिन्न</b>					
		2010-11	11.94	11.94*	10.82	1.12	9.4
		2011-12	6.03	6.03	5.29	0.74	12.3
		2012-13	6.56	6.56	5.54	1.02	15.5
2.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 105-राज्य कर्मचारी बीमा योजना 01-राज्य बीमा विभाग	<b>आयोजना-भिन्न</b>					
		2010-11	36.81	36.81	35.46	1.35	3.7
		2011-12	39.90	39.90	36.47	3.43	8.6
		2012-13	46.16	46.16	40.26	5.90	12.8
3.	2236-पोषण 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 101-विशेष पोषण कार्यक्रम 01-समेमित बाल विकास सेवायें विभाग के माध्यम से 01-पोषाहार क्रेश कार्यक्रम	<b>केन्द्रीय प्रवर्तित योजना</b>					
		2010-11	323.83	323.83	196.30	127.53	39.4
		2011-12	294.03	294.03	201.69	92.34	31.4
		2012-13	260.81	260.81	231.06	29.75	11.4

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल बजट	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत
4.	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 103-महिला कल्याण 11-विमंदिता महिला एवं बालगृहों के लिये भवन निर्माण	<b>आयोजना</b>					
		2010-11	-	0.05**	-	0.05	100.0
		2011-12	10.00	10.00	0.39	9.61	96.1
		2012-13	15.00	15.00	9.42	5.58	37.2
* ₹ 1000 के अनुपूरक प्रावधान सहित ।							
** अनुपूरक प्रावधान ।							

### स्रोत: विनियोग लेखे

बचतों के कारण, पदों का रिक्त रहना, कैंडर समीक्षा के परिणामस्वरूप पदों का अन्य बजट शीर्षों में स्थानांतरण होना, मानदेय का भुगतान नहीं होना, सेवानिवृत्त कार्मिकों की नियुक्ति नहीं होना, नये आँगनबाड़ी केन्द्रों का कार्यशील नहीं होना, लाभार्थियों की कम उपस्थिति तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति होना, बताये गये।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि रिक्त पदों के लिये अनुमान तैयार करना संशोधित राज्य बजट नियमावली का उल्लंघन है। विभाग को अपने व्यय का अनुश्रवण करना चाहिये था एवं भारी बचतों से बचने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिये थे।

### 2.3.3 आधिक्य व्यय

दस प्रकरणों में, कार्यक्रम प्रदाता विभागों ने विधानमण्डल द्वारा अनुदानों के माध्यम से निर्धारित की गयी सीमाओं से अधिक व्यय किया (₹ 185.06 करोड़)। इन प्रकरणों में आधिक्य व्यय, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक और कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक था (परिशिष्ट 2.2)।

निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप आधिक्य व्यय, बजटिंग एवं व्यय नियंत्रण में कमी को इंगित करता है।

### 2.3.4 गत वर्षों (2010-12) से सम्बन्धित प्रावधानों से आधिक्य जिनका नियमन अपेक्षित है

भारत के संविधान की धारा 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिये अनुदान/विनियोग में हुए आधिक्य का राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमन करवाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमितीकरण के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है तथापि, आधिक्य व्यय का नियमितीकरण जन लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूर्ण होने के बाद किया जाता है।

वर्ष 2010-12 के लिये नौ अनुदानों में आधिक्य व्यय की राशि ₹ 19.92 करोड़ का नियमन किया जाना शेष था (30 सितम्बर 2013)। वर्षवार विवरण तालिका 2.9 में नीचे सारीकृत किया गया है।

**तालिका 2.9: गत वर्षों के प्रावधान से आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है**

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की कुल संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	अनुदान/विनियोग	आधिक्य की राशि (₹ करोड़ में)	जनलेखा समिति (जलेस) द्वारा परीक्षण किये जाने की स्थिति (30 सितम्बर 2013 तक)
2010-11	4	20-आवास	पूँजीगत-दत्तमत	2.16	जलेस द्वारा परीक्षण किया गया
		27-पेयजल योजना	राजस्व-दत्तमत	15.70	जलेस द्वारा परीक्षण किया गया
		28-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	राजस्व-दत्तमत	1.90	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
		38-लघु सिंचाई एवं मृदा संरक्षण	पूँजीगत-दत्तमत	0.01	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
	2	13-आबकारी	राजस्व-प्रभारित	- <sup>5</sup>	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
		15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	राजस्व-प्रभारित	0.03	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
2011-12	1	48-विद्युत	पूँजीगत-दत्तमत	0.01	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
	2	12-अन्य कर	राजस्व-प्रभारित	0.11	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
		36-सहकारिता	राजस्व-प्रभारित	- <sup>6</sup>	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
<b>योग</b>	<b>9</b>			<b>19.92</b>	

स्रोत: विनियोग लेखे

### 2.3.5 वर्ष 2012-13 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिनका नियमन अपेक्षित है

वर्ष 2012-13 के दौरान, दो विनियोगों में राज्य विधानसभा द्वारा राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत राशि से अधिक कुल आधिक्य ₹ 79,100 रही, जिसका संविधान की धारा 205 के अधीन नियमन करवाना बाध्यकारी है जिसे तालिका 2.10 द्वारा दर्शाया गया है:

5. मात्र ₹ 54.783

6. मात्र ₹ 57

**तालिका 2.10: वर्ष 2012-13 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है**

(₹ में)

क्रम संख्या	विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल विनियोग	व्यय	आधिक्य
<b>राजस्व-प्रभारित</b>				
1.	11 विविध सामाजिक सेवाये	3,000	80,000	77,000
2.	20 आवास	1,000	3,100	2,100
<b>कुल योग</b>		<b>4,000</b>	<b>83,100</b>	<b>79,100</b>

**स्रोत: विनियोग लेखे**

वित्त विभाग द्वारा राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत राशि से ज्यादा आधिक्य व्यय के कारणों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान को सूचित नहीं किये गये।

### **2.3.6 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान**

संशोधित राबनि का पैरा 24.2 प्रावधित करता है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी उद्देश्य के लिये उपलब्ध कराई गई राशि अपर्याप्त रहती है अथवा किसी उद्देश्य या सेवा जिसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है, पर व्यय करने की आवश्यकता होती है, तो विधानमण्डल द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2012-13 के दौरान 18 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) में लिया गया ₹ 652.10 करोड़ का समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय, मूल प्रावधान के बराबर भी नहीं हुआ (**परिशिष्ट 2.3**)। महत्वपूर्ण प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुये, नीचे विवेचित किये गये हैं:

**अनुदान संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई में,** ₹ 109.66 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, नव पदों के सृजन की प्रत्याशा में वेतन एवं भत्तों के भुगतान, छात्रवृत्तियों के भुगतान एवं भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त होने की प्रत्याशा में राज्यांश जारी करने हेतु, मार्च 2013 में किया गया जो अनावश्यक रहा क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से भी कम था।

**अनुदान संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में,** ₹ 120.87 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, छात्रवृत्तियों एवं वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान हेतु, मार्च 2013 में लिया गया जो अनावश्यक रहा क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

**अनुदान संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत में,** ₹ 110.84 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, मेहरानगढ़ (जोधपुर) घटना, चम्बल घटना, सीतापुरा (जयपुर) इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन डिपो अग्निकांड तथा राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत

मापदण्ड के अनुसार बढ़े हुये व्यय के पुर्नभरण हेतु, मार्च 2013 में लिया गया जो अनावश्यक रहा क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

यह इन विभागों द्वारा वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिये निधियों की आवश्यकता के गलत आंकलन एवं मासिक व्यय नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से व्यय के प्रवाह के प्रबोधन जैसाकि संशोधित राबनि के अध्याय 21 में विहित है, की विफलता को इंगित करता है, इस प्रकार इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण के बिना किये गये।

### **2.3.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्नियोजन**

पुनर्विनियोजन, किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ प्रत्याशित बचत है, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, में निधियों का अंतरण है।

अविवेकपूर्ण किया गया पुनर्विनियोजन अत्यधिक, अनावश्यक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ परिणामस्वरूप 97 उप-शीर्षों में ₹ 203.84 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ एवं 345 उप-शीर्षों में ₹ 208.40 करोड़ की अंतिम बचतें रही। 37 लेखा शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक का अंतिम आधिक्य/बचत, पुनर्विनियोजन के बाद हुआ (परिशिष्ट 2.4)। 14 लेखा शीर्षों में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, 10 लेखा शीर्षों में अनावश्यक पुनर्विनियोजन एवं 13 लेखा शीर्षों में अत्यधिक पुनर्विनियोजन हुआ। इससे इंगित होता है कि इस प्रकार के पुनर्विनियोजन से पहले निधियों की आवश्यकता/उपलब्धता का सही आंकलन नहीं किया गया।

### **2.3.8 अवर्णित पुनर्विनियोजन**

संशोधित राबनि के पैरा 23.15.6 में उल्लिखित है कि प्रत्याशित बचतों अथवा आधिक्यों के कारण स्पष्ट किये जाने चाहिये। तथापि, वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2013) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2,371 उप-शीर्षों में से मात्र 587 उप-शीर्षों में आधिक्य/बचतों के स्पष्टीकरण प्राप्त हुये, जिनमें से 148 उप-शीर्षों के स्पष्टीकरण सामान्य प्रकृति के थे जैसे 'वास्तविक आवश्यकता', 'नवीनतम आंकलन पर आधारित' तथा 'व्यय का प्रतिबंध' आदि। इसके अतिरिक्त, 1,784 उप-शीर्षों में, कोई विशिष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिये गये। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम के अनुभाग 4 में निर्दिष्ट पारदर्शिता सिद्धान्त के विपरीत है।

### **2.3.9 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण**

संशोधित राबनि के पैरा 23.16 के अनुसार अनुदान, जो उचित रूप से उपयोजित नहीं हो सकी, अभ्यर्पित की जानी चाहिये।

वर्ष 2012-13 के दौरान, ₹ 6,836.94 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 6,717.45 करोड़ (98.3 प्रतिशत) की राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में अभ्यर्पित

की गई। इनमें से 38 प्रकरणों (27 अनुदान एवं 1 विनियोग) में ₹ 6,435.39 करोड़, जहाँ बचतों के प्रत्येक प्रकरण ₹ 20 करोड़ से अधिक के थे, वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अभ्यर्पित किये गये (**परिशिष्ट 2.5**), जबकि 22 अनुदानों में, जहाँ बचतों प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक थी, ₹ 280.30 करोड़ की राशि (₹ 3,762.71 की कुल बचतों का 7.4 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं की गई (**परिशिष्ट 2.6**)।

यह वास्तविक वित्तीय नियोजन की कमी एवं कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है। मुख्य नियंत्रण अधिकारियों एवं विभागीय अध्यक्षों द्वारा राबनि में विहित बजटीय नियंत्रणों की उपेक्षा की गई तथा वित्त विभाग राज्य बजट पर सम्पूर्ण वित्तीय नियंत्रण रखने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु निधियाँ वंचित रही।

विभागों ने वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को बचतों के अभ्यर्पण के संबंध में कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (नवम्बर 2013)।

### **2.3.10 एक मुश्त प्रावधान**

संशोधित राबनि के पैरा 13.16 में निर्दिष्ट है कि नियमानुसार एक मुश्त प्रावधान का अनुमान नहीं किया जाना चाहिये।

वर्ष 2012-13 के दौरान, 179 प्रकरणों (17 अनुदानों एवं 3 विनियोगों में ₹ एक करोड़ से अधिक और बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से भी अधिक) में ₹ 1,539.34 करोड़ का, अनुमानों में एक मुश्त प्रावधान किया गया। इनमें से ₹ 1,275.09 करोड़ (82.8 प्रतिशत) वर्ष की समाप्ति पर अनुपयोजित रहे, जिसे वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित किया गया (**परिशिष्ट 2.7**) एवं शेष राशि ₹ 264.25 करोड़ पुनर्विनियोजित की गई। इन प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त बजट प्रावधान करने के कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2013)।

### **2.3.11 वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण**

चार अनुदानों में, ₹ 343.66 करोड़ की बचतों के समक्ष ₹ 508.48 करोड़ की राशि अभ्यर्पित (प्रत्येक अनुदान में ₹ एक करोड़ या अधिक) की गई, जो कि ₹ 164.82 करोड़ अधिक थी (**परिशिष्ट 2.8**) जो यह इंगित करता है कि मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रण रखने में विभाग विफल रहे। विभागों ने वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण के सम्बन्ध में कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (नवम्बर 2013)।

### **2.3.12 व्यय की अधिकता**

व्यय की समान गति रखना ठोस लोक वित्तीय प्रबन्धन का एक निर्णायक घटक है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, 98 उप-शीर्षों (*परिशिष्ट 2.9*) में ₹ 7,672.65 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक) का व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया, जो कि कुल व्यय का 80.7 प्रतिशत था। इसमें से ₹ 7,216.37 करोड़ (75.9 प्रतिशत) केवल मार्च 2013 में व्यय किये गये। इस प्रकार, विभागों द्वारा वर्ष के अंत में बड़ी राशि खर्च करना व्यय के ऊपर कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

### **2.3.13 बजट का व्यपगत होने से बचाने के लिये निधियों का आहरण**

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (नियम 8) के प्रावधानों के अनुसार, निधियों का आहरण तभी किया जाना चाहिये जब तुरन्त भुगतान की आवश्यकता हो तथा वित्त विभाग की सहमति के बिना धनराशियों को अन्यत्र निवेश या जमा कराने के लिये सरकारी खाते से नहीं निकाला जाना चाहिये। साथ ही बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों के आहरण एवं उन राशियों को जमाओं के रूप में लोक लेखा अथवा बैंक में रखने की पद्धति निषिद्ध है।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान, द्वारा संकलित की गई सूचना से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार द्वारा मार्च 2013 में ₹ 2,198.60 करोड़ की राशि आहरित की गई और उसे बजट अनुदान से व्यपगत होने से बचाने के लिये जमा शीर्ष<sup>7</sup> में जमा कराई गई। इसमें अंतिम तीन दिवसों क्रमशः 29 मार्च, 30 मार्च एवं 31 मार्च 2013 का स्थानांतरण भी सम्मिलित है।

## **2.4 बजट प्रतिपादन एवं बजटीय नियंत्रण**

अनुदान संख्या 27-‘पेय जल योजना’ के सम्बन्ध में बजट प्रतिपादन एवं बजटीय नियंत्रण की समीक्षा की गई। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा नीचे की गई है।

### **जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग**

#### **● आधिकार्यों एवं बचतों के अंतिम विवरण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब**

संशोधित राबनि के पैरा 23.12 में निर्दिष्ट है कि सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को व्यय के विरुद्ध आधिकार्यों एवं बचतों के विवरण-पत्र वित्त विभाग को, विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों तक वित्तीय वर्ष में दो बार प्रस्तुत करना चाहिये। यह प्रकट हुआ कि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को विवरण-पत्र वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को मात्र एक बार प्रस्तुत किये गये।

● वर्ष 2012-13 के दौरान, तीन उप-शीर्षों (आयोजना) में, ₹ 22.39 करोड़ का सम्पूर्ण आवंटित बजट<sup>8</sup> अनुपयोजित रहा जिसे वित्तीय वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित किया गया।

7. 8338-स्थानीय निधियों की जमाएँ, 8342-अन्य जमाएँ तथा 8443-सिविल जमा।

8. 4215-01-101-05-01-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से (₹ 16.20 करोड़), 4215-01-102-01-35-मातामुख-जायल तहसील जल प्रदाय योजना (नाबार्ड)(₹ 3.45 करोड़), 4215-01-102-05-01-निर्माण कार्य (₹ 2.74 करोड़)।

- वर्ष 2012-13 के दौरान शीर्ष '4215-01-102-54 फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना' के अन्तर्गत ₹ 7.02 करोड़ का लिया गया अनुपूरक प्रावधान<sup>9</sup> अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि इसमें से कुछ भी व्यय नहीं किया गया।

- **निरन्तर बचतें**

चार उप-शीर्षों में कुल प्रावधान के 15 प्रतिशत एवं 93 प्रतिशत के मध्य की निरन्तर बचतें थी जैसाकि तालिका 2.11 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.11: वर्ष 2010-13 के दौरान निरन्तर बचतें**

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
2215-02-001-04 शिल्प शाला	2010-11	42.39*	35.90	6.49	15.31
	2011-12	42.75	35.92	6.83	15.98
	2012-13	43.84	36.69	7.15	16.31
4215-01-101-01-61 शहरी जलपूर्ति योजना, जोधपुर (आर्थिक कार्य योजना)	2010-11	70.00	4.94	65.06	92.94
	2011-12	109.10	44.14	64.96	59.54
	2012-13	77.79	14.88	62.91	80.87
4215-01-101-08 मूल्यहास आरक्षित निधि के विरुद्ध जलपूर्ति योजनाओं का पुनरुद्धार	2010-11	107.64	28.37	79.27	73.64
	2011-12	53.82	41.71	12.11	22.50
	2012-13	53.82	29.02	24.80	46.07
4215-01-102-18 बीसलपुर-दुदू जलप्रदाय योजना (नाबार्ड)	2010-11	15.00	12.21	2.79	18.60
	2011-12	34.96	13.79	21.17	60.55
	2012-13	20.71	16.09	4.62	22.31

\* ₹ 3.58 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान सहित ।

स्रोत: विनियोग लेखे

विभाग द्वारा बचतों के कारणों को सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2013)।

- **व्यय का अनियमित प्रवाह**

चार उप-शीर्षों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान 46.26 प्रतिशत से 71.12 प्रतिशत तक का कुल व्यय हुआ जबकि वर्ष के अंतिम माह में 24.11 प्रतिशत से 48.61 प्रतिशत तक का व्यय हुआ जो वर्ष के अन्त में व्यय की अधिकता को दर्शाता है जैसाकि नीचे तालिका 2.12 में दिखाया गया है।

9. मूल प्रावधान शून्य था।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

तालिका 2.12 : वर्ष 2010-13 के दौरान व्यय का अनियमित प्रवाह

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	मार्च 2013 में हुआ व्यय	जनवरी 2013 से मार्च 2013 के दौरान हुआ व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत	
				अंतिम त्रैमास का कुल व्यय से	अंतिम मास का कुल व्यय से
1	2	3	4	5 (3/4)	6 (2/3)
4215-01-101-01 सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं	153.29	180.36	315.31	57.20	48.61
4215-01-102-01 त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं	19.54	37.50	81.06	46.26	24.11
4215-01-102-03 अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम	68.04	129.34	203.71	63.49	33.40
4215-01-102-49 तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य	11.90	25.14	35.35	71.12	33.66

स्रोत: विनियोग लेखे

राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2013)।

## 2.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 16-‘पुलिस’ एवं अनुदान संख्या 24-‘शिक्षा, कला एवं संस्कृति’ के अन्तर्गत अवधि 2010-13 के लिये व्यय एवं प्राप्तियों की समीक्षा की गई। दृष्टिगत हुई मुख्य अनियमितताओं को नीचे सारीकृत किया गया है:

### अनुदान संख्या 16-पुलिस

#### गृह विभाग

#### (अ) व्यय

#### ● निधियों का अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

संशोधित राबनि के पैरा 24.2 में प्रावधित है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी उद्देश्य के लिये उपलब्ध कराई गई राशि अपर्याप्त रहती है अथवा किसी उद्देश्य या सेवा जिसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है, पर व्यय करने की आवश्यकता होती है, तो विधानसभा द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2010-13 के दौरान मूल बजट अनुमान, अनुपूरक प्रावधान तथा उनके समक्ष वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे तालिका 2.13 में दी गई है।

तालिका 2.13: वर्ष 2010-13 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	विभाग द्वारा दिये गये कारण
<b>आयोजना-भिन्न</b>								
1	2055-101-01 अपराधिक शाखा	2012-13	109.03	1.30	110.33	104.78	5.55	वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय
2	2055-101-02 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	2011-12	25.64	3.27	28.91	25.96	2.95	पदों का रिक्त रहना
3		2012-13	33.30	1.73	35.03	33.86	1.17	पदों का रिक्त रहना
4	2055-104-01 सिपाही दल	2012-13	384.27	22.00	406.27	402.63	3.64	वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय
5	2055-109-01-01 सामान्य पुलिस (निदेशन)	2011-12	1,176.60	34.29	1,210.89	1,185.36	25.53	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वाहनों एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करना, पदों का रिक्त रहना
6		2012-13	1,295.44	34.78	1,330.22	1,325.08	5.14	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वाहनों एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करना, पदों का रिक्त रहना
7	2055-109-10-01 सामान्य पुलिस	2012-13	283.10	11.58	294.68	292.30	2.38	वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय
<b>केन्द्रीय प्रवर्तित योजना</b>								
8	2055-115-04 सामान्य पुलिस का आधुनिकीकरण	2010-11	-*	20.82	20.82	19.18	1.64	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वाहनों एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करना
9		2012-13	-*	19.03	19.03	16.55	2.48	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वाहनों एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करना
* मात्र ₹ 1000								

**स्रोत: विनियोग लेखे**

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं।

- क्रम संख्या 2 एवं 3: बजट अनुमानों में रिक्त पदों का प्रावधान करना संशोधित राबनि के पैरा संख्या 13.18.2 का उल्लंघन था।
- क्रम संख्या 1, 4 एवं 7: विभाग द्वारा अनुमान उचित प्रकार से तैयार नहीं किये गये। वेतन एवं भत्तों के सम्बन्ध में बजट अनुमानों एवं वास्तविक

ऑकड़ों में भिन्नता होना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि इनकी यथोचित सत्यता का पूर्वानुमान किया जा सकता था।

- क्रम संख्या 5, 6, 8 एवं 9: विभाग द्वारा बताये गये कारण सूची प्रबन्धन एवं क्रय हेतु आपूर्तिकर्ताओं का अनुसरण करने की प्रणाली में त्रुटि को इंगित करते हैं।

• **सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान का अभ्यर्पण**

वर्ष 2012-13 के दौरान, राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के गठन हेतु पूँजीगत बजट शीर्ष '4055-190-01 (आयोजना)' में ₹ 0.50 करोड़ का प्रावधान अनुपूरक अनुदान के द्वारा किया गया। तथापि विभाग द्वारा, राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड का गठन नहीं होने से, सम्पूर्ण राशि को 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया। जो इंगित करता है कि अनुपूरक प्रावधान सामान्य औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना किया गया।

**(ब) प्राप्तियाँ**

वर्ष 2010-13 के दौरान, शीर्ष '0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ' के अन्तर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति नीचे तालिका 2.14 में दी गयी है।

तालिका 2.14: वर्ष 2010-13 के दौरान प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर	प्राप्तियों में वृद्धि (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	2010-11	0.01	5.10	6.24	(+) 1.14	-
	2011-12	1.00	3.08	2.38	(-) 0.70	(-) 61.9
	2012-13	1.00	0.04	0.31	(+) 0.27	(-) 87.0
60-अन्य सेवाएँ						
106-नागरिक सुरक्षा						
02-होम गार्ड						
01-सीमा						
0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	2010-11	11.08	8.95	11.31	(+) 2.36	-
	2011-12	8.00	10.72	2.70	(-) 8.02	(-) 76.1
	2012-13	8.00	1.98	0.08	(-) 1.90	(-) 97.0
60-अन्य सेवाएँ						
106-नागरिक सुरक्षा						
02-होम गार्ड						
03-शहरी						

स्रोत: बजट दस्तावेज तथा वित्त लेखे

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में प्राप्ति शीर्ष '0070-60-106-02-01' के अन्तर्गत प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में वास्तविक प्राप्तियाँ क्रमशः 61.9 प्रतिशत एवं 87 प्रतिशत घटी। विभाग ने सूचित किया कि यह भिन्नता, सेवकों/स्थायी कर्मचारियों की अन्य राज्यों में चुनावी सेवाओं एवं केर्यन

एनर्जी/छबड़ा थर्मल स्टेशन/अन्य संस्थाओं/अधिकरणों में तैनातगी की कमी/बढ़ोतरी, के कारण रही। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सेवकों की तैनातगी की प्रत्याशा में यथोचित अनुमान तैयार किये जाने चाहिये थे। इसके अतिरिक्त, उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता कि प्राप्तियों में कमी सेवकों की तैनातगी नहीं होने अथवा अधिकरणों से सेवकों/स्टॉफ की माँग नहीं आने के कारण थी।

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में प्राप्ति शीर्ष '0070-60-106-02-03' के अन्तर्गत प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में वास्तविक प्राप्तियाँ क्रमशः 76.1 प्रतिशत एवं 97 प्रतिशत घटी। विभाग ने सूचित किया कि यह भिन्नता, आय की कम प्राप्ति एवं भारत सरकार द्वारा कम पुनर्भरण के कारण रही। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुमान, गत प्रवृत्तियों, प्रत्याशित आय एवं भारत सरकार से पुनर्भरण जैसे घटकों को सम्मिलित करते हुए, तैयार करने चाहिये थे।

राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2013)।

### अनुदान संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति

#### शिक्षा विभाग

#### (अ) व्यय

राजस्व बजट शीर्ष में निम्नलिखित स्थिति प्रदर्शित हुई:

तालिका 2.15: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान एवं निरन्तर बचते

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01-बालकों के विद्यालय (आयोजना भिन्न)	2010-11	2,701.99	-	2,701.99	2,371.91	330.08
	2011-12	2,668.21	45.73	2,713.94	2,602.55	111.39
	2012-13	3,616.10	-	3,616.10	2,980.17	635.93

स्रोत: विनियोग लेखे

यह दर्शाता है कि वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 के दौरान बजट अनुमान गत वर्षों की बचत प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किये गये। साथ ही वर्ष 2011-12 के अन्त में बचत यह भी दर्शाती है कि अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे।

#### व्यय की अधिकता

वर्ष 2012-13 के दौरान, वर्ष की अंतिम तिमाही में 69.56 प्रतिशत से 100 प्रतिशत का कुल व्यय हुआ, जबकि वर्ष के अंतिम माह में 50.53 प्रतिशत से 100 प्रतिशत का व्यय हुआ (परिशिष्ट 2.10)।

**(ब) प्राप्ति**

वर्ष 2010-13 के दौरान शीर्ष '0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति' के अन्तर्गत संशोधित अनुमान एवं वास्तविक प्राप्ति की स्थिति नीचे तालिका 2.16 में दी गयी है।

**तालिका 2.16 : वर्ष 2010-13 के दौरान प्राप्ति का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्ति	अन्तर	अंतर प्रतिशतता संशोधित अनुमानों से
1	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 101-प्रारम्भिक शिक्षा	2010-11	4.23	10.74	(+) 6.51	153.90
		2011-12	2.87	7.80	(+) 4.93	171.78
		2012-13	3.08	11.00	(+) 7.92	257.14
2.	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 103-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	2010-11	4.03	5.87	(+) 1.84	45.66
		2011-12	4.06	3.95	(-) 0.11	2.71
		2012-13	3.51	7.18	(+) 3.67	104.56
3.	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 600-सामान्य	2010-11	0.12	0.81	(+) 0.69	575.0
		2011-12	0.28	0.37	(+) 0.09	32.14
		2012-13	0.18	0.24	(+) 0.06	33.33

स्रोत: बजट दस्तावेज तथा वित्त लेखे

यह दर्शाता है कि वर्ष 2010-13 के दौरान प्राप्ति का उचित आंकलन नहीं किया गया तथा ये (-) 2.71 प्रतिशत से 575 प्रतिशत के मध्य रही। राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

**2.6 कोषालयों के निरीक्षण के परिणाम**

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य में 262 इकाईयाँ, यथा 40 कोषालय (एक ई-कोषालय सहित) एवं 222 उप-कोषालय थे। वर्ष 2012-13 के दौरान 39 कोषालयों एवं 149 उप-कोषालयों के निरीक्षण में पाई गई मुख्य अनियमितताओं की चर्चा नीचे की गई है।

● **शेष राशि को उचित शीर्षों में लेखाबद्ध नहीं करना**

वित्त विभाग के निर्देशों (अप्रैल 2005) के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, अव्ययीत राशि, उसी संगत राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा की जायेगी जहाँ से

इसे नामे लिखा गया था। यह पाया गया कि 16 कोषालयों/उप-कोषालयों में मुख्य शीर्ष '2235' से सम्बद्ध ₹ 0.17 करोड़ की अव्ययीत राशि को सम्बन्धित प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा करने की बजाय उसे व्यय शीर्ष में ऋण नामे दर्शाया गया।

- **निजी निक्षेप खातों के अंतिम शेष में अन्तर**

चार निजी निक्षेप खातों के निरीक्षण में पाया गया कि मार्च 2012 के अन्त में कोषालयों एवं खाताधारकों की पासबुकों में दर्शाये गये अंतिम शेषों में ₹ 0.90 करोड़ का अंतर था। इसका समायोजन किया जाना चाहिए।

- **दीर्घकालीन ऋणों की वृहद पुस्तिकाओं का अपूर्ण संधारण**

राज्य वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों (मई 1988) के अनुसार, दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों, यथा भवन निर्माण अग्रिम एवं वाहन अग्रिम, की वृहद पुस्तिकाओं के सभी स्तम्भों की उचित रूप से पूर्ति की जानी चाहिये। तेरह कोषालयों द्वारा दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों के सम्पूर्ण विवरण, यथा स्वीकृति की संख्या एवं दिनांक, मासिक किश्तों की संख्या एवं राशि, कोषालय प्रमाणक संख्या एवं दिनांक वृहद पुस्तिकाओं में संधारित नहीं किये गये थे।

- **₹ 0.24 करोड़ के अप्रचलित/कटे-फटे मुद्रांकों के निस्तारण का अभाव**

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 246 के अनुसार अप्रचलित/अनुपयोगी/खराब मुद्रांकों की रिपोर्ट कोषाधिकारी द्वारा महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक अजमेर को प्रस्तुत की जानी चाहिए एवं उनके निस्तारण हेतु महानिरीक्षक से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर तदानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके विरुद्ध, सात कोषालयों द्वारा ₹ 0.24 करोड़ के अप्रचलित/खराब मुद्रांकों के निस्तारण की कार्यवाही नहीं की गई।

- **रोकड़िये से प्रतिभूति बन्ध-पत्र प्राप्त न करना**

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 का नियम 63 यह प्रावधित करता है कि जिला कलेक्टर एवं कोषाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लापरवाही या धोखाधड़ी की अवस्था में होने वाली हानि से बचने के लिये रोकड़िये द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में विहित प्रारूप में पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत कर दी है। इन निर्देशों को उल्लंघित करते हुये 63 कोषालयों/उप-कोषालयों में रोकड़िये से प्रतिभूति बन्ध-पत्र प्राप्त किये बिना ही रोकड़ का कार्य करवाया जा रहा है।

राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2013)।

## 2.7 सहायतार्थ अनुदान का गलत वर्गीकरण

भारतीय शासकीय लेखांकन मानक-2 का पैरा 9 निर्धारित करता है कि संघ सरकार से राज्य सरकार को दिया जाने वाला सहायतार्थ अनुदान, राज्य सरकार के वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखाबद्ध किया जायेगा।

वर्ष 2012-13 के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त हुये ₹ 1.83 करोड़ के सहायतार्थ अनुदान को, राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाया गया जैसाकि तालिका 2.17 में वर्णित किया गया है।

**तालिका 2.17: पूंजीगत लेखाशीर्ष के अन्तर्गत सहायतार्थ अनुदान में गलत वर्गीकरण**

(₹करोड़ में)

लेखाशीर्ष	राशि
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 03-खेल तथा युवा सेवाएँ 789-अनुमूचित जनजातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना 01-जिला संकुल खेल विभाग के माध्यम से	0.43
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 03-खेल तथा युवा सेवाएँ 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 01-जिला संकुल खेल विभाग के माध्यम से	1.40
<b>योग</b>	<b>1.83</b>

स्रोत: वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

## 2.8 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

राज्य की आकस्मिकता निधि, भारत के संविधान की धारा 267(2) एवं 283(2) के प्रावधानों के अनुसरण में राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित की गई है। निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृति के ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिये अनुमत्य है जिन्हें विधानसभा द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित किया जाना अवांछनीय हो। आकस्मिकता निधि से अग्रिम उन परिस्थितियों में व्ययों की पूर्ति के लिए दिया जा सकता है जहाँ (i) वार्षिक/अनुपूरक बजट में प्रावधान नहीं किया जा सका हो, (ii) व्यय का पूर्वानुमान नहीं को सका हो और (iii) विधानमण्डल से प्राधिकार प्राप्त होने तक व्यय स्थगित नहीं किया जा सकता हो। निधि की प्रकृति एक अग्रदाय के रूप में है तथा इसका संग्रह ₹ 200 करोड़ है। संशोधित राबनि के अध्याय 5 में परिकल्पित है कि आकस्मिकता निधि से अग्रिम हेतु तब तक आवेदन न किया जाये जब तक कि सभी प्राथमिकताये, यथा प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति, स्थान का चयन आदि पूर्ण न कर कर लिया गया हो तथा वांछित अग्रिम के अनुपूरक अनुदान से प्रतिपूर्ति किये जाने के पर्याप्त आसार न हों।

वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्रदान करने के लिये कुल ₹ 19.64 करोड़ की चार स्वीकृतियाँ, चार मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत जारी की गई। स्वीकृतियों की संवीक्षा में पाया गया कि:

- राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011 हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को ₹ एक करोड़ का अग्रिम स्वीकृत (जून 2012) किया गया। स्वीकृति की प्रभावशील तिथि (31 अक्टूबर 2012) तक सम्पूर्ण राशि अनुपयोजित रही। विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2013) कि योजना में लागू आवश्यक प्राथमिकताओं के पूर्ण होने में विलम्ब तथा जन साधारण में इस योजना के बारे में जागरूकता में कमी के कारण राशि उपयोजित नहीं की जा सकी। इससे प्रदर्शित होता है कि विभाग ने यथासमय प्रारम्भिक कार्य पूर्ण नहीं कर, जैसाकि संशोधित राबिन के पैरा 5.6 में विहित है, राशि का निर्धारित तिथि तक उपयोग सुनिश्चित नहीं किया।
- राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, 2012 के संचालन हेतु श्रम तथा रोजगार विभाग को ₹ तीन करोड़ का अग्रिम स्वीकृत (जुलाई 2012) किया गया। विभाग ने स्वीकृति की प्रभावशील तिथि (31 अक्टूबर 2012) तक मात्र ₹ 0.25 करोड़ व्यय किये। विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2013) कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आय प्रमाण-पत्र में आने वाली कुछ कठिनाइयों के कारण राशि उपयोजित नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग को समय पर निधियों का वितरण सुनिश्चित करने हेतु कठिनाइयों का पूर्वानुमान कर लेना चाहिये था।

राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2013)।

## 2.9 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमिततायें

- *सारांशीकृत आकस्मिक बिलों (ए.सी.) के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी.सी.सी.) बिलों के प्रस्तुतीकरण में लम्बन*

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 219, ए.सी. बिलों को बनाने और आहरण करने तथा डी.सी.सी. बिलों को नियंत्रण अधिकारियों/प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत किये जाने को विनियमित करता है। प्रत्येक आहरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक ए.सी. बिल को प्रमाणित करना होता है कि पूर्ववर्ती मास तक आहरित किये गये सभी ए.सी. बिलों के डी.सी.सी. बिल नियंत्रण अधिकारियों/प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

आहरित किये गये (31 मार्च 2013 को) ₹ 3,558.21 करोड़ के 37,571 ए.सी. बिलों में से 31 जुलाई 2013 तक राशि ₹ 95.57 करोड़ के 659 डी.सी.सी. बिल प्रस्तुत नहीं किये गये जैसाकि विवरण **तालिका 2.18** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.18: सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में लम्बन**

(₹करोड़ में)

वर्ष	एसी बिल		डीसीसी बिल		डीसीसी बिलों का एसी बिलों से प्रतिशत	बकाया एसी बिल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि
2007-08 तक	25,035	1,680.82	24,990	1,676.14	99.8	45	4.68
2008-09	3,102	297.18	3,097	296.78	99.8	5	0.40
2009-10	3,669	708.79	3,662	708.12	99.8	7	0.67
2010-11	2,460	419.86	2,422	413.82	98.5	38	6.04
2011-12	1,471	197.72	1,379	176.71	93.7	92	21.01
2012-13	1,834	253.84	1,362	191.07	74.3	472	62.77
<b>योग</b>	<b>37,571</b>	<b>3,558.21</b>	<b>36,912</b>	<b>3,462.64</b>	<b>98.2</b>	<b>659</b>	<b>95.57</b>

स्रोत: वित्त लेखे

बकाया ए.सी. बिल मुख्यतः राजस्व विभाग (₹ 40.22 करोड़), चिकित्सा शिक्षा (₹ 18.88 करोड़), राजस्व मण्डल (₹ 6.56 करोड़), पुलिस (₹ 6.22 करोड़) तथा सामान्य प्रशासन विभाग (₹ 5.11 करोड़) से सम्बन्धित थे। 31 जुलाई 2013 तक विभागवार लम्बित डी.सी.सी. बिलों का विवरण **परिशिष्ट 2.11** में दिया गया है। बिलों के समायोजन में दीर्घ लम्बन के कारण सरकारी निधियों के दुरुपयोग की संभावना एवं उसकी वजह से हुये दुर्विनियोजन से इन्कार नहीं किया जा सकता।

## 2.10 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

### निष्कर्ष

वर्ष 2012-13 के दौरान, ₹ 89,663.02 करोड़ की कुल अनुदानों एवं विनियोगों के समक्ष ₹ 6,836.94 करोड़ की समग्र बचत हुई। ₹ 0.79 लाख के आधिक्य का भारत के संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत नियमितीकरण अपेक्षित था। भारी बचतें दोषपूर्ण बजट अनुमानों को इंगित करती हैं। अठारह प्रकरणों में ₹ 652.10 करोड़ का प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक रहा, 442 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण रहा परिणामस्वरूप प्रावधानों से या तो बचतें रही या आधिक्य रहा। विभागों द्वारा ₹ 6,717 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्यदिवस को अभ्यर्पित किये गये जिससे इन निधियों का उपयोग अन्य विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। चार प्रकरणों में ₹ 164.82 करोड़ की वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पित किया गया।

179 प्रकरणों में संशोधित राबनि के प्रावधानों के विरुद्ध ₹ 1,539.34 करोड़ का एक मुश्त प्रावधान किया गया। इसमें से, ₹ 1,275.09 करोड़ (83 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे।

राज्य सरकार द्वारा माह मार्च 2013 के दौरान ₹ 2,198.60 करोड़ की राशि आहरित की गई और बजट अनुदानों के व्यपगत होने से बचाने के लिये इसे जमा शीर्षों में जमा कराया गया।

चार प्रकरणों में आकस्मिकता निधि के अधीन ₹ 19.64 करोड़ की स्वीकृतियों में से, ₹ 3.75 करोड़ (19 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे। 31 मार्च 2013 तक आहरित ₹ 95.57 करोड़ के सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के समक्ष नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्रस्तुत नहीं किये (जुलाई 2013)।

कोषालयों के निरीक्षण में उनकी कार्यप्रणाली में कमियाँ पाई गईं। राजस्व एवं पूँजीगत प्रावधानों की कुछ योजनाओं में वर्षभर व्यय न करने के बजाय मार्च 2013 माह में शत प्रतिशत व्यय किया गया, जिससे वर्ष के अन्त में व्यय की प्रचुरता रही। ₹ 1.83 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान राजस्व प्रभाग के स्थान पर पूँजीगत प्रभाग में लेखाबद्ध किया गया।

### **सिफारिशें**

- बजटरी एवं व्यय नियंत्रणों की सुनिश्चितता हेतु नियंत्रण अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों को संशोधित राबनि के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिये।
- सभी विभागों को व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये वास्तविक बजट अनुमान प्रस्तुत करने के प्रयास करने चाहिये ताकि वर्ष के अन्त में बड़े पैमाने पर होने वाले आधिक्य/बचत, पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण से बचा जा सके।
- बचतों का वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व निर्धारण एवं अभ्यर्पण किया जाना चाहिये। ताकि उनका अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावपूर्ण उपयोग हो सके।
- पूरे वर्ष के लिए व्यय का समान फैलाव किया जाना चाहिये जिससे वर्ष के अन्त में व्यय की प्रचुरता से होने वाले नुकसान से बचा जा सके।
- दोषपूर्ण कार्यप्रणाली से बचाने के लिये कोषालयों के कार्यकलापों का अनुश्रवण किया जाना चाहिये।
- सारांशीकृत आकस्मिक बिलों से आहरित किये गये अग्रिमों का निर्धारित अवधि में समायोजन करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण प्रक्रिया लागू की जानी चाहिये।